

राजस्थान सरकार

प्रपत्र 8


साथालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर धौलपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम कोर्ट) कैम्प कासिमपुर

आदेश:

प्राची के खाता "दुरुस्ती" प्राचीना पत्र एवं पटवारी व गू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायाब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज रि. को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अगले दशमद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
	कासिमपुर	209, 139, 141, 140 142, 143.	कैलाशी फुड इमीरा जाहि जाटव सा.देह	कैला राम फुड इमीरा जाहि जाटव सा.देह
	दीवान कापुरी	- 10	— १ —	— ० —

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर.....



उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज०)

क्र.सं. :- 1411

दिनांक:- 6.8.25

लिपि:-

तहसीलदार धौलपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अगले दशमद शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट निजवाये।
सार्थ श्री कैला राम फुड इमीरा को सूचनार्थ।
लिखित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर